

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०१/२०२०-५२१

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार।

सेवा में,

१. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
२. अवर सचिव, वै०दा०नि०को० (वित्त विभाग), बिहार, पटना।
३. महालेखाकार, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- २९-०४-२०२२

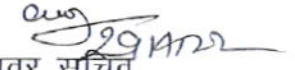
विषय:- ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारी के कोषागार प्रशिक्षण-प्रमाण पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित सेवा के पदाधिकारी के संबंध में जिला पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा निर्गत कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रदान की जाती है, जो निम्नांकित है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	प्रशिक्षण अवधि	जिला पदा०/समाहर्ता द्वारा प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करने की तिथि
१	श्री रॉबिन चिन्मय शर्मा, परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	२३.०३.२०२२ से ०५.०४.२०२२ तक	०६.०४.२०२२

विश्वासभाजन,

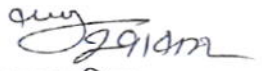

अवर सचिव

राजस्व, पर्षद, बिहार, पटना

ज्ञापक:- सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०१/२०२०-५२१

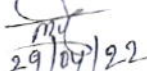
पटना, दिनांक:- २९-०४-२०२२

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, एवं श्री रॉबिन चिन्मय शर्मा, परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।



अवर सचिव

राजस्व, पर्षद, बिहार, पटना


२९/०४/२२